न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 49/2017

श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामदयाल, जाति खारोल, निवासी ग्राम रामसर तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण
2. श्री विष्णु

पुत्रगण श्री मोहन, जाति माली, निवासी ग्राम कुण्ड चौराहा, बस स्टैण्ड, रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

3. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1– श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री अजीत लोढा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–30.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.01.2002 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री लक्ष्मण व श्री विष्णु पुत्रगण श्री मोहन, जाति माली, निवासीगण ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम रामसर के वर्किंग खसरा नम्बर 6893 मिन रकबा 10–05–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 6894 रकबा 03–17–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए नियमन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन, न्याय, नियम व रेकार्ड पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि चरागाह भूमि है एवं आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत चरागाह भूमि नियमनकिये जाने का अधिकार आवंटन अधिकारी को नहीं था व ना ही नियमन की जा सकती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भी चरागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी भी प्रकार से नियमन नहीं किया जा सकता एवं ना ही खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है। विवादित आराजी चरागाह भूमि होने की पुष्टि में वर्किंग जमाबन्दी खाता संख्या 1236 के कॉलम संख्या 4 में भूमि ग्राम पंचायत रामसर चरागाह दर्ज है। इस प्रकार वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी बरोज नियमन चरागाह दर्ज थी एवं इसी उपयोग में ली जाती रही है। आवंटन अधिकारी ने विधि के प्रतिकूल एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की नीयत से आक्षेपीय नियमन आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि विवादित भूमि के संदर्भ में फॉर्म संख्या 3 के पृष्ठ संख्या 2 के कॉलम संख्या 6 में विवादित भूमि की किस्म चरागाह अंकित है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी चरागाह भूमि ही दर्शाया गया है। इसके साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारित खातेदारी की भूमि 23–13–00 बीघा होना दर्शाया है। इस प्रकार पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट एवं वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 सन् 1984 अनुसार विवादित आराजी वरवक्त नियमन चरागाह भूमि थी। इन तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित नियमन आदेश पारित किया गया। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान **डी0एन0जे0 2024(2) पृष्ठ 587** पर माननीय उच्च न्यायालय एवं **आर0आर0टी0 386 पृष्ठ 386**पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा राजस्व अधिकारियों व आवंटन अधिकारी को धोखा देकर एवं सांठ गांठ कर आक्षेपित नियमन आदेश के अलावा भी अन्य कई बार भूमि आवंटन करवाई गई एवं भूमियों को भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को बेचान की जा चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जालसाजी कर आवंटन अधिकारी को धोखा देते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अवैधानिक रूप से नियमन आदेश पारित करवाया गया है। उन्होने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि दिनांक 24.05.1985 को भी ग्राम रामसर स्थित भूमि चौसाला खसरा संख्या 5136 मिन जिसका नया खसरा संख्या 6893 मिन में से रकबा 12–00–00 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी को धोखा देकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन करवाई गई जबकि विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा ही नहीं था न रहा। विवादित आराजी खसरा संख्या 6893 मिन रकबा 10–05–00 के वर्तमान खसरा संख्या 9084 रकबा 1.66 हैक्टर व खसरा संख्या 6894 मिन रकबा 03–17–00 के वर्तमान खसरा संख्या 9085 रकबा 0.62 हैक्टर बने हैं। वर्तमान खसरा संख्या 9084/10067 रकबा 1.94 हैक्टर जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अधिकारियों व आवंटन अधिकारी को धोखा देकर जाति माली के स्थान पर अपने आपको भाम्बी (अनुसूचित जाति) का सदस्य बनकरआवंटन आदेश प्राप्त किया गया। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 05.01.2007 से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति माली को छिपाकर लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति भाम्बी बताकर भूमि आवंटित करवाई गई। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति भाम्बी के स्थान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

पर लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति माली का इन्द्राज करवा लिया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 माली जाति से है परन्तु स्वयं को भाम्बी (अनुसूचित जाति) का बताकर फर्जी एवं कूटरचित आवंटन करवाया गया। वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि वर्किंग खसरा संख्या 6801 रकबा 05–17–00 को भी अन्य भूमियों के साथ अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में आवंटन अधिकारी को धोखा देकर दिनांक 22.07.1984 को आवंटन आदेश प्राप्त किया एवं भूमि को जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 04.02.1999 को श्री रामदेव पुत्र श्री कल्याण जाति माली को बेचान कर दी। इसी तरह वर्किंग खसरा संख्या 6492 मिन की भूमि भी धोखे से आवंटित करवाई जाकर जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.05.2001 श्री लादू पुत्र श्री धन्ना जाति गुर्जर को बेचान कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 बार–बार आवंटन अधिकारी को धोखा देकर भूमि का आवंटन करवाकर आवंटित भूमियों को बेचान कर पुनः आवंटन करवाने का आदतन रहा है। ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद में स्थितवर्किंग खसरा संख्या 6342 रकबा 00–03–00, खसरा संख्या 6342 रकबा 06–04–00 खसरा संख्या 6492 रकबा 00–01–00, खसरा संख्या 6491 रकबा 00–14–00, खसरा संख्या 6801 रकबा 05–17–00 एवं खसरा संख्या 6890 रकबा 04–03–00 की भूमियां भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अधिकारियों व आवंटन अधिकारी को धोखा देकर दिनांक 22.07.1984 को आवंटित करवाई गई, जो नामान्तरकरण संख्या 1753 से भी प्रमाणित है एवं भूमि की किस्म चरागाह होना वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 सन् 1984 से प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता श्री मोहन पुत्र श्री औंकार जाति माली के पास वर्तमान खसरा संख्या 5615 रकबा 0.1000 किस्म नहरी–प्रथम, खसरा संख्या 5616 रकबा 0.1600 किस्म नहरी–प्रथम, खसरा संख्या 5931 रकबा 0.4000 नहरी–प्रथम एवं खसरा संख्या 8845 रकबा 0.6400 किस्म बारानी–2 कुल क्षेत्रफल 1.3000 भूमि जमाबन्दी अनुसार खातेदारी दर्ज है। इनमें से वर्तमान खसरा संख्या 8845 रकबा 0.6400 के वर्किंग खसरा संख्या 6709 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता श्रीमोहन पुत्र श्री औंकार के स्वर्गवास के पश्चात विष्णु पुत्र मोहन, तीजी, प्रेम, पारा, मन्जू, कानी पुत्रियां मोहन जाति माली के द्वारा श्री सुरेश पुत्र श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुरा को बेचान कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक नहीं है एवं इनके पास सीमा से अधिक कृषि भूमियां है। आवेदन पत्र में वर्णित भूमियों के अलावा भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पास खातेदारी की भूमियां है जिसके अनुसार वह भूमिहीन कृषक नहीं रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आदतन अतिचारी है एवं इनके द्वारा ग्राम रामसर स्थित करीब 25 बीघा चरागाह भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जावे।

अपर कलक्टर,
अजमेर

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत, कपोल कल्पित, आधारहीन, मनगढन्त एवं बिना किसी ठोस धरातल व आधार के अंकित किये गये हैं। उनका कथन है कि प्रार्थी एक चालाक व चतुर भू–माफिया व्यक्ति है। प्रार्थी विधिक प्रावधानों की आड़ में गांव के भोले–भाले व्यक्तियों को जिन्हे विवादग्रस्त आराजियात अर्से दराज पूर्व विधिवत तौर पर आवंटित हुई है, को भूमि ओने पौने दामों में क्रय करने हेतु दबाव बनाकर एवं अगर कोई आवंटी उसकी विधि विपरीत मंशा के विरूद्ध जाता है तो वह आवंटी को हैरान, परेशान व ब्लेकमेल करने की नीयत से कानूनी कार्यवाही में फंसाने तथा कानूनी

कार्यवाही का दुरूपयोग करने की नीयत से विभिन्न न्यायालयों में अनेक प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सद्भावी आवंटी पर भूमि सस्ते दामों में बेचने का दबाव बनाता है। प्रार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से द्वेषता भाव रखने की नीयत एवं उन्हे ब्लेकमेल कर आवंटित आराजी हड़पने की नीयत से विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी का नियमन विधिवत तौर पर समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य पूर्ण रूप से मनगढन्त, तथ्यहीन, आधारहीन व सफेद झूठ है जिनका कोई ठोस विधिक आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों को अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की मंशा से यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वरवक्त नियमन विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत रामसर के नाम चरागाह भूमि दर्ज थी। यह तथ्य पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा नियमन से पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट से भी सिद्ध होता है, जिसमें प्रश्नगत आराजी चरागाह होने का अंकन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत चरागाह भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की होकर नियमन योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी आराजी का नियमन किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया वादग्रस्त आराजियात का नियमन प्रारम्भ से ही शून्य है। इसके साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि नियमन के वक्त आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक नहीं थे एवं भूमि नियमन की पात्रता नहीं रखते थे। हम वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित आराजियात का नियमन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 08.01.2002 को ग्राम रामसर के वर्किंग खसरा नम्बर 6893 मिन रकबा 10–05–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 6894 रकबा 03–17–00 बीघा भूमि का किया गया नियमन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर